यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री कलवन्त सिंह एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री सलीम खान, सहायक पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 23.03.2021 से 01.04.2021 तक श्री अरुण खण्डूड़ी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री रमेश केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.05.2019 से 29.05.2019 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: रेंज कार्यालयों द्वारा वनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	498.94
2018-19	352.65
2019-20	424.27

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2017-18	992.39	986.82	325.69	313.47	-	5.52	12.22
2018-19	1002.32	997.08	345.25	330.11	-	5.24	15.14
2019-20	943.53	943.42	358.39	296.45	-	0.11	61.94

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा. आ.**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत (%)**
2019-20	(i) इन्टेसिफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	-	17.58	10.27	7.31
	(ii) ग्रीन इण्डिया मिशन	-	66.52	61.57	4.95
	(iii) नमामि गंगे परियोजना	-	157.35	157.35	-

(iii)इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 05/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: 2406 - आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा
2406 - लीसा

केंद्र पुरोनिधानित योजनाः नमामि गंगे

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

प्रस्तर-01 विकास कार्यों के लिए पातन हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित प्रकाष्ठ से संबन्धित रॉयल्टी निगम द्वारा रोके जाने से प्रभाग को ₹44.77 लाख के राजस्व की क्षति।

प्रस्तर-02 पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों के लिए आयतन गुणांक तालिका के निर्धारित भाग के आधार पर अनुमानित आयतन की गणना न किए जाने के कारणप्रभाग को ₹26.27लाख के राजस्व की क्षति।

प्रस्तर-03 लीसा व प्रकाष्ठ की बिक्री नीलामी पर निर्धारित स्टांप शुल्क वसूल न किए जाने के कारण ₹10.13 लाख के राजस्व की क्षति।

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर-:01 वन उत्पाद (चीड़-गुलिया) की रॉयल्टी ₹38.19 लाख कम जमा कराया जाना।

प्रस्तर:-02 एन.पी.वी. एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपणता की कम धन राशि लिए जाने से राजस्व क्षति ₹ 3.92 लाख।

प्रस्तर:-03 प्रकाष्ठ की रॉयल्टी कम वसूल किया जाना ₹0.77 लाख।

प्रस्तर:-04 लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की कम प्राप्ति।

प्रस्तर-:05 राजस्व प्राप्ति एवं संबन्धित चालानों का सत्यापन कोषागार से न किया जाना।

व्यय की लेखा-परीक्षा

(अति गम्भीर अनियमितताएं)

भाग-II (अ)

" शून्य "

गम्भीर अनियमितताएं

भाग-II (ब)

प्रस्तर:-06 लेंटाना उन्मूलन पर निरर्थक व्यय ₹ 38.38 लाख।

प्रस्तर:-07 वन पंचायतों को प्रदत्त की गयी सहायता अनुदान की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना रु 16.12 लाख।

प्रस्तर:-08 प्रभाग की उदासीनता के कारण 42 कार्मिकों को अधिकतम 34 माह विलम्ब से अंशदान की कटौती होने के कारण ₹4.13 लाख का नियोक्ता अंशदान की राशि से वंचित रहना।

प्रस्तर:-09 सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹ 36.07 लाख के कार्यो को पूर्ण किया जाना।

प्रस्तर:-10 अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए कार्यों को टुकड़ों में बांटकर किया जाना ₹ 9.84 लाख।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-01 विकास कार्यों के लिए पातन हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित प्रकाष्ठ से संबन्धित रॉयल्टी निगम द्वारा रोके जाने से प्रभाग को ₹44.77 लाख के राजस्व की क्षति।

किसी विशेष वित्तीय वर्ष में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित प्रकाष्ठ की रॉयल्टी उसी वित्तीय वर्ष के मार्च (प्रथम किस्त) तथा अगले वित्तीय वर्ष के जून एवं सितंबर (द्वितीय एवं तृतीय किस्त) में भुगतान की जाती है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम आवंटित एवं स्वीकार की गई लॉटों के विषय में रॉयल्टी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस विषय में दिशानिर्देश विभाग द्वारा तय किए गए हैं एवं उक्त दिशानिर्देश उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा 2015-16 तक पालन भी किए गए थे।

प्रभाग द्वारा अनुरक्षित सी-12 रजिस्टर की जाँच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2019-20 में प्रभाग द्वारा वन विकास निगम को कुल 56 लॉटों का आवंटन किया गया जिसमें से 17 लॉटें सड़क निर्माण इत्यादि विकास कार्यों से संबन्धित थीं। सी-12 रजिस्टर और विभाग को वन विकास निगम से प्राप्त रॉयल्टी से संबन्धित अभिलेखों की विस्तृत जाँच में यह भी प्रकाश में आया कि वर्ष 2019-20 के दौरान विकास कार्यों से संबन्धित 17 लॉटें, जिनमें 1,624.574 घनमीटर प्रकाष्ठ था (प्रभाग के अनुसार 1,083.049 घनमीटर, जो कि गलत वॉल्यूम फैक्टर के आधार पर निकाला गया था), वन निगम के द्वारा स्वीकार की गई। यद्यपि, इस प्रकाष्ठ के लिए ` 44.77 लाख की रॉयल्टी का भुगतान वन निगम के द्वारा नहीं किया गया।(विवरण संलग्न) इसके अलावा रॉयल्टी की किश्त जमा करने की निर्धारित तिथियाँ बीत जाने के पश्चात भी विभाग को ` 44.77 लाख की रॉयल्टी वन विकास निगम से प्राप्त नहीं हुई और न ही प्रभाग को विकास कार्यों से संबन्धित आवंटित लॉटों से हुई प्रकाष्ठ की बिक्री के विषय में कोई जानकारी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सितम्बर 2016 के उत्तराखण्ड वन विकास निगम के आदेशानुसार रॉयल्टी का भुगतान प्रभाग को नहीं किया गया एवं प्रभाग द्वारा इस संबंध में निगम से पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा सड़क निर्माण इत्यादि विकास कार्यों से संबन्धित पातन हेतु आवंटित प्रकाष्ठ से संबन्धित रॉयल्टी के भुगतान के विषय में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा पूर्व परम्परा को बदलने के लिए एकतरफा निर्णय (सितंबर 2016) लेनाउत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रावधानों के विरुद्ध था। उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के परिशिष्ट-II के अनुसार वित्त विभाग द्वारा किए गए किसी भी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त, कोई भी विभाग, वित्त विभाग कीपूर्व सहमति के बिना, कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता है जैसे किसी भी राजस्व को छोड़ना या किसी भी व्यय को शामिल करना जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में विकास कार्यों से संबन्धित प्रकरण को इंगित किए जाने पर शासन ने अवगत कराया था (जनवरी 2019) कि इस मामले पर रॉयल्टी निर्धारण समिति की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगाएवं प्रमुख वन संरक्षक ने भी यह आश्वासन दिया था कि समुचित विचार के पश्चात मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। परन्तु इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए किसी भी समुचित कदम का अभिलेखीय प्रमाण प्रभाग में उपलब्ध नहीं था।

अतः: विकास कार्यों के लिए पातन हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित प्रकाष्ठ से संबन्धित रॉयल्टी निगम द्वारा रोके जाने से प्रभाग को ₹44.77 लाख के राजस्व की क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को कुलआवंटित 56 लॉटोंमें सेविकासकार्योंसे संबन्धित 17 लॉटोंका विवरण

लॉट संख्या	योग्य वृक्षों की संख्या	अयोग्य वृक्षों की सख्या	विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों हेतु निर्धारित नियम के अनुसार आयतन योग्यवृक्षोंहेतु:उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में *दिया हुआ सम्पूर्ण आयतन*एवंअयोग्यवृक्षोंहेतु:उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में *दिए हुएआयतनका आधा* (घनमीटर में)	विभाग द्वारा निर्धारित नियम के विरुद्ध प्रभाग द्वारा लिया जा रहा कम आयतन योग्यवृक्षोंहेतु:उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में *दियेहुएआयतनका2/3*एवंअयोग्यवृक्षोंहेतु:उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में *दियेहुएआयतनका1/3* (घनमीटर में)	प्रभाग द्वारा आगणित आयतन में कमी (घनमीटर में)	निर्धारित नियम के अनुसार रॉयल्टी (`में)	प्रभाग द्वारा कम आगणित आयतन के अनुसार रॉयल्टी (`में)	प्रभाग को प्राप्त होने वाली रॉयल्टी में कमी (`में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=4-5**	**7**	**8**	**9=7-8**
1	87	0	30.4200	20.2800	10.1400	61,726.56	41,151.04	20,575.52
3	244	0	86.5600	57.7100	28.8500	240,307.21	160,204.81	80,102.40
4	9	0	17.9630	11.9753	5.9877	51,877.14	34,584.76	17,292.38
6	19	0	-	-	-	-	-	-
7	27	0	65.2230	43.4820	21.7410	1,88,364.02	1,25,576.02	62,788.00
8	18	0	-	-	-	-	-	-
11	703	0	80.42	53.61	26.81	2,56,935.06	1,71,290.04	85,645.02
14	2	13	1.7780	1.1853	0.5927	2,802.51	1,868.34	934.17
17	631	0	41.46	27.64	13.82	1,57,180.73	1,04,787.15	52,393.58
27	36	0	13.7210	9.1473	4.5737	39,353.63	26,235.75	13,117.88
28	297	0	24.1530	16.1020	8.0510	60,871.22	40,580.81	20,290.41
34	1,102	0	598.3210	398.8807	199.4403	16,59,155.595	11,06,103.73	5,53,051.865
36	27	51	103.6890	69.1260	34.5630	2,99,453.83	1,99,635.89	99,817.94
39	122	0	243.4030	162.2687	81.1343	7,01,318.61	4,67,545.74	2,33,772.87
43	442	0	234.3160	156.2107	78.1053	5,03,773.71	3,35,849.14	1,67,924.57
46	21	0	35.7270	23.8180	11.9090	1,06,208.23	70,805.50	35,402.74
52	80	0	47.4200	31.6133	15.8067	1,48,085.94	98,723.96	49,361.98
कुल 17 लॉट	***3,867***	***64***	***1,624.574***	***1,083.049***	***541.52***	***44,77,414.00***	***29,84,942.68***	***14,92,471.33***

भाग-2 अ

प्रस्तर-02 पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों के लिए आयतन गुणांक तालिका के निर्धारित भाग के आधार पर अनुमानित आयतन की गणना न किए जाने के कारण प्रभाग को ₹ 26.27 लाख के राजस्व की क्षति।

विभाग के द्वारा जारी निर्देश (अप्रैल 1989) यह कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों को मैदानी क्षेत्रों हेतु की गई तीन श्रेणियों के स्थान पर केवल दो श्रेणियों-योग्य एवं अयोग्य, में वर्गीकृत करना है। योग्य वृक्ष के अनुमानित आयतन की गणना के लिए उस विशेष प्रजाति हेतु विभाग द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण आयतन गुणांक लिया जाना था एवं अयोग्य वृक्ष का अनुमानित आयतन निर्धारित आयतन गुणांक का आधा भाग लेकर आंकलित किया जाना था।

प्रभाग के अभिलेखों (सी-12 एवं अन्य संबन्धित अभिलेखों) की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों के लिए निर्धारित आयतन गुणांक के आधार पर अनुमानित आयतन की गणना नहीं की गई। विभाग के द्वारा जारी निर्देश (अप्रैल 1989) के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों के आयतन का अनुमान ***योग्य वृक्षों हेतु*** उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में दिया हुआ सम्पूर्ण आयतन एवं ***अयोग्य वृक्षों हेतु*** उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में दिए हुए आयतनका आधा आयतन निर्धारित है। जबकि प्रभाग द्वारा ***योग्य वृक्षों हेतु*** उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में दिए हुए आयतन का 2/3 एवं ***अयोग्य वृक्षों हेतु*** उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में दिए हुए आयतन का 1/3 के आधार पर गणना की गई है। इसके परिणामस्वरूप योग्य एवं अयोग्य वृक्षों के मामले में क्रमशः 1/3 भाग[1] एवं 1/6[2] भाग आयतन की गणना कम हुई। इस कारण से 2019-20 की अवधि में वन विकास निगम को आवंटित प्रकाष्ठ हेतु 1,271.98 घनमीटर आयतन का कम अनुमान लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप ` 26.27 लाख की रॉयल्टी की क्षति हुई। जैसा कि संलग्न तालिका में दिया गया है जो प्रभाग द्वारा अनुरक्षित सी-12 से तैयार की गई है।

---

[1] 1-2/3।

[2] 1/2 - 1/3।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि वन विकास निगम के आदेशानुसार एवं विभाग के दिसम्बर 1988 के आधार पर वर्ष 2015-16 से उपरोक्त आयतन गुणांक के आधार पर आयतन का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर अमान्य था क्योंकि विभाग द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 1989 में स्पष्ट आदेश निर्गत किए गए थे कि पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों के लिए योग्य वृक्ष के अनुमानित आयतन की गणना के लिए उस विशेष प्रजाति हेतु विभाग द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण आयतन गुणांक लिया जाना चाहिए एवं अयोग्य वृक्ष का अनुमानित आयतन निर्धारित आयतन गुणांक का आधा भाग लेकर आंकलित किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही उक्त प्रकार के प्रकरण को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (31 मार्च 2018 को समाप्त हुये वर्ष के लिये) के प्रस्तर 2.2.8.8 में भी सम्मिलित नहीं किया जा चुका है जिसमें अपर मुख्य सचिव द्वारा विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पर्वतीय प्रभागों द्वारा प्रकाष्ठ के आयतन की गणना करने के लिये विभाग के मौजुदा दिशा निर्देशों के अनुसार समरूप पद्दति अपनायी जाये।

अतः, पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों के लिए आयतन गुणांक तालिका के निर्धारित भाग के आधार पर अनुमानित आयतन की गणना न किए जाने के कारणप्रभाग को ₹ 26.27 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

अत: ₹ 26.27 लाख के राजस्व की क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग-2 अ

प्रस्तर-03 लीसा व प्रकाष्ठ की बिक्री नीलामी पर निर्धारित स्टांप शुल्क वसूल न किए जाने के कारण ₹10.13 लाख के राजस्व की क्षति।

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक-खा के क्रमांक 18 में यह प्रावधानित किया गया है कि उस प्रत्येक सम्पत्ति के लिए जो अलग-अलग लॉट में नीलामी पर चढाई और बेची गयी हो जो किसी न्यायालय, या अधिकारी या संस्था द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार ऐसी सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी से बिक्री करने का अधिकार प्राप्त हो, सार्वजनिक नीलामी से बेची गयी सम्पत्ति के क्रेता को दिया जाये तो केवल क्रयधन की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तांतरण पर क्रमांक 23 खंड (क) के समान शुल्क देय है। वर्तमान में स्टांप शुल्क की दर 5 *प्रतिशत* है। इस पर नियमानुसार रजिस्ट्रेशन फीस भी देय है।जिससे स्पष्ट है कि नीलामी केमाध्यम से बिक्री की गयी संपत्ति चाहे वो चल हो या अचल पर स्टांप शुल्क की देयता 5 *प्रतिशत* की दर से निर्धारित की गयी है। जिन प्रकरणो में संपत्ति को नीलामी के माध्यम से विक्रय नहीं किया जाता है उनमे स्थाई संपत्ति पर स्टांप शुल्क की देयता 23 क के अनुसार 5 *प्रतिशत* की दर से तथा अस्थाई संपत्ति पर स्टांप शुल्क की देयता 23 ख के अनुसार 2 *प्रतिशत* की दर से निर्धारित की गयी है।

(i) कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरीके लीसा डिपो से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2019-20 में नीलामी के माध्यम से कुल 5,359.11 कुंतल लीसा की बिक्री विभिन्न दरों (₹ 5,010 से ₹ 6,305 प्रति कुंतल) पर की गई जिससे कुल ₹3.33 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जिस पर 2*प्रतिशत* की दर से ₹6.65 लाख[3] स्टांप शुल्क वसूल किया गया था। जबकि उपरोक्त भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक-खा के क्रमांक 18 में अलग-अलग लॉटों में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचे गए लीसा पर स्टांप शुल्क की देयता 5 *प्रतिशत* की दर से निर्धारित की गयी है। जिसके अनुसार ₹16.65 लाख[4] की स्टांप शुल्क की वसूली की जानी थी। अतः ₹3.33 करोड़ की लीसा की बिक्री पर (**विवरण संलग्न**) अंतरीय दर 3% (5-2) से अतिरिक्त स्टांप शुल्क ₹ 10.00[5] लाख देय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी के आदेश से स्टांप शुल्क की वसूली 2 *प्रतिशत* की दर से की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अनुसार नीलामी के माध्यम से बिक्री की गयी संपत्ति चाहे वो चल हो या अचल पर स्टांप शुल्क की देयता 5 *प्रतिशत* की दर से निर्धारित की गयी है।

---

[1] ₹ 3.33 करोड़ X 2 प्रतिशत।

[2] ₹ 3.33 करोड़ x 2 प्रतिशत।

[3] ₹ 16.65 लाख - 6.65 लाख।

(ii) प्रभाग के लौट निस्तारण सम्बन्धी अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में नीलामी के माध्यम से विक्रय किए गए लौटों से प्राप्त विक्रय मूल्य एवं प्रभाग के पक्ष में जमा कराई गयी रॉयल्टी का विवरण निम्नवत था:

क्रम संख्या	नीलामी की तिथि	प्राप्त विक्रय मूल्य (₹)	वन निगम का लाभांश (₹)	प्रभाग को प्राप्त रॉयल्टी (₹)
1	28.01.2019	185600	37120	148480
2	26.11.2019 & 17.12.2019	22900	11236	11664
3	17.12.2019	43000	22207	20793
योग		251500	70563	180937

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नीलामी के माध्यम से ₹ 251500/- लौट/प्रकाष्ठ का विक्रय किया गया था। परन्तु, उक्त विक्रय पर नियमानुसार 5% की दर से ₹ 12575/- का स्टाम्प शुल्क वसूल कर निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि इस सम्बंध में वन विकास निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

अतः लीसा की बिक्री व प्रकाष्ठ की नीलामी पर निर्धारित स्टांप शुल्क वसूल न किए जाने के कारण ₹1012575/- के राजस्व की क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-:01 वन उत्पाद (चीड़-गुलिया) की रॉयल्टी ₹38.19 लाख कम जमा कराया जाना।

मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्र संख्या 460/8-2(25) रॉयल्टी निर्धारण (2019-20) दिनाँक 20.10.2020 द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित रॉयल्टी दरों में बिन्दु संख्या-8.10 के अनुसार, उत्तरी एवं दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त हेतु चीड़-गुलिया की प्रस्तावित रॉयल्टी दर ₹ 611/- में वृद्धि करते हुये एक समान रूप से सम्पूर्ण प्रदेश हेतु चीड़-गुलिया की रॉयल्टी दर ₹ 10000/- प्रति घनमीटर निर्धारित की गयी थी। आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि वर्ष 2019-20 की वह लाट जिनमे एकत्रित चीड़-गुलिया की बिक्री एवं धनराशि का पूर्ण समायोजन रॉयल्टी निर्धारण की तिथि पर हो चुका है तथा वाह्य एजेंसी को प्राप्त विक्रय मूल्य की शेष धनराशि पूर्णरूप से भुगतान की जा चुकी है उनमें वसूल की गयी रॉयल्टी के अतिरिक्त बढ़ी हुई रॉयल्टी की माँग एरियर के रूप में नहीं होगी। अन्य सभी मामलों में निर्धारित रॉयल्टी पूर्णरूप से देय होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के राजस्व प्राप्ति संबंधी अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, नई टिहरी के पत्र संख्या 1628/रॉयल्टी/2019-20 दिनाँक 20.03.2020 द्वारा अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक चीड़-गुलिया की रॉयल्टी निम्न विवरण अनुसार जमा कराई गयी थी:

वन प्रभाग	वन उत्पाद	मात्रा (घन मी.)	दर (₹प्रति घन मी.)	रॉयल्टी राशि में (₹)
टिहरी वन प्रभाग	चिड़-गुलिया	412.595	744	306971

वन विकास निगम द्वारा चीड़-गुलिया की रॉयल्टी ₹ 744 प्रति घन मीटर की दर से जमा कराई गयी थी जिसके सम्बंध में कोई आदेश अभिलेखों पर नहीं पाया गया एवं न ही प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा सका। इसके अतिरिक्त प्रभाग द्वारा चीड़ गुलिया की रॉयल्टी ₹ 10000/- प्रति घनमीटर की दर से वसूल नहीं की गयी थी। इस सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि वन विकास निगम द्वारा चीड़-गुलिया की रॉयल्टी नीलामी के पश्चात एक मुश्त जमा की जाती है। चीड़ गुलिया की बिक्री के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट सूचना वन निगम से उपलब्ध नहीं है वन निगम से पत्राचार के पश्चात अवगत करा दिया जायेगा। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में चीड़-गुलिया की बिक्री का विवरण व वन विकास निगम द्वारा संबन्धित वाह्य एजेंसी को भुगतान किये जाने सम्बन्धी ऐसा कोई भी विवरण/सूचना प्रभाग के पास उपलब्ध

नहीं था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि चीड़-गुलिया की बिक्री व संबन्धित एजेंसी को भुगतान/समायोजन उपरोक्त आदेश के पूर्व किया जा चुका था।

अतः चीड़-गुलिया की बिक्री के विवरण के अभाव में वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में चीड़ गुलिया की बिक्री पर निम्नवत रॉयल्टी देय होगी:

वन प्रभाग	वन उत्पाद चीड़ गुलिया की मात्रा (घन मी。)	दर (₹ प्रति घन मी)	रॉयल्टी राशि (₹)	जमा रॉयल्टी (₹)	अवशेष रॉयल्टी (₹)
टिहरी वन प्रभाग	412.595	10000	4125950	306971	3818979

अतः उक्तानुसार प्रभाग द्वारा वन विकास निगम से अवशेष ₹ 3818979/- रॉयल्टी वसूलनीय थी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:-02 एन.पी.वी. एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपणता की कम धनराशि लिए जाने से राजस्व क्षति ₹ 3.92 लाख।

वन भूमि हस्तांतरण के संबंध में एन.पी.वी की दरे निम्नानुसार निर्धारित किया गयी है-

Eco value	Class and NPV rates in lakh					
	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Class VI
Very dense forest	10.43	10.43	8.87	6.26	9.39	9.91
Dense forest	9.39	9.39	8.03	5.63	8.45	8.97
Open forest	7.30	7.30	6.26	4.38	6.57	6.99

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा एन.पी.बी. की धनराशि रू 873810.00 जमा की गयी थी, जो 657000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित की गयी थी परन्तु प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार एन.पी.बी की दर रू 845000.00 प्रति हेक्टेयर निर्धारित करते हुये एन.पी.वी कुल धनराशि रू 1123850.00 निर्धारित की गयी थी इस प्रकार रू 250040.00 (रू 1123850 - रू 873810) की कम वसूली एन.पी.बी. के रूप में की गयी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अभिलेखों की जाँच कर नियमानुसार अवशेष धनराशि की वसूली की जायेगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 (ब)</u>

प्रस्तर-03 प्रकाष्ठ की रॉयल्टी कम वसूल किया जाना ₹0.77 लाख।

प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के रॉयल्टी जमा पंजिका एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, नई टिहरी के पत्र संख्या 272/रॉयल्टी/2018-19 दिनाँक 13.06.2019 द्वारा वर्ष 2018-19 में आवंटित लौटों का प्रजातिवार देय रॉयल्टी विवरण जो कि चीड़ कार्यवृत्त से संबन्धित है, निर्धारित अवधि तक रॉयल्टी भुगतान के लिए प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रेषित किया था।

रॉयल्टी विवरण के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2018-19 हेतु संशोधित रॉयल्टी दर के स्थान पर वर्ष 2017-18 की रॉयल्टी दरों के आधार पर रॉयल्टी ₹ 2262713/- का आंगणन किया गया था। जबकि वर्ष 2018-19 हेतु संशोधित दरों के अनुसार रॉयल्टी निम्नवत वसूल की जानी थी:

वृक्ष की प्रजाति	**मात्रा (घन मी.)**	**रॉयल्टी दर** (₹प्रति घन मी.)	**रॉयल्टी राशि (₹)**
चीड़ हरा	68.855	2235	153891
चीड़ सूखा	1402.431	2235*3/4	2350825
सुरई हरा	2.310	17	39
पोपलर हरा	2.474	1126	2786
तुन हरा	1.813	17075	30957
देवदार सूखा	0.869	4848*3/4	3160
जालौनी	2.7093	1379	3736
Total			2545394

अतः उक्तानुसार रॉयल्टी ₹ 2545394/- आंगणित होती है। रॉयल्टी जमा पंजिका की जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा उक्त से संबन्धित रॉयल्टी ₹ 2488224/- ही जमा करायी गयी थी। इस प्रकार ₹ 57170/- रॉयल्टी कम जमा कराई गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि अभिलेखों के अध्ययन के पश्चात स्थिति स्पष्ट करते हुये पृथक से प्रस्तुत किया जायेगा।

आगे, प्रभाग के लौट निस्तारण सम्बन्धी अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में नीलामी के माध्यम से विक्रय किए गए लौटों से प्राप्त विक्रय मूल्य एवं प्रभाग के पक्ष में जमा कराई गयी रॉयल्टी का विवरण निम्नवत था:

क्रम संख्या	नीलामी की तिथि	प्राप्त विक्रय मूल्य (₹)	वन निगम का लाभांश (₹)	प्रभाग को प्राप्त रॉयल्टी (₹)	लाभांश प्रतिशत
1	28.01.2019	185600	37120	148480	20
2	26.11.2019& 17.12.2019	22900	11236	11664	49
3	17.12.2019	43000	22207	20793	52
योग		251500	70563	180937	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वन विकास निगम द्वारा अपना लाभांश अलग-अलग प्रतिशत (20 से 52 प्रतिशत तक) काटकर अवशेष रॉयल्टी जमा कराई जा रही थी जबकि, नियमानुसार विक्रय मूल्य ₹ 251500/- पर 20 प्रतिशत की दर से ₹ 50300/- लाभांश काटते हुये ₹ 201200/- रॉयल्टी प्रभाग के पक्ष में जमा कराई जानी थी जबकि ₹ 180937/- रॉयल्टी ही जमा कराई गयी थी। इस प्रकार ₹ 20263/- रॉयल्टी प्रभाग द्वारा कम वसूल की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि इस सम्बंध में वन विकास निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभाग द्वारा उपरोक्तानुसार रॉयल्टी ₹ 77433/- (₹ 57170 + ₹ 20263) कम वसूल किए जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-:04 लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की कम प्राप्ति।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,टिहरी वन-प्रभाग, नई टिहरी के राजस्व प्राप्ति संबंधी अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में आवंटित लक्ष्य ₹791.20 लाख के सापेक्ष ₹ 424.27 लाख (54%) राजस्व की ही प्राप्ति की गयी थी। इस प्रकार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष ₹ 366.93 लाख (46%) राजस्व की कम प्राप्ति हुई। आगे, वृहद मदों में राजस्व प्राप्ति की स्थिति निम्नवत पायी गयी:

मानक मद	लक्ष्य (₹ में)	प्राप्ति (₹ में)	अन्तर (₹ में)
03-लीसा	65000000	33259709	31740291
07-वन निगम के माध्यम से लकड़ी और अन्य वन उत्पादन की बिक्री से प्राप्तियाँ	10000000	5464383	4535617
योग			36275908

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लीसा मद में लक्ष्य के सापेक्ष 51 प्रतिशत एवं वन निगम के माध्यम से प्राप्त होने वाला राजस्व मात्र 55 प्रतिशत ही था जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण लक्ष्य के सापेक्ष 46 प्रतिशत राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि लीसा डिपो में लीसा अवरुद्ध होने के कारण एवं वन विकास निगम द्वारा विकास कार्यों में पातित वृक्षों की रॉयल्टी न दिये जाने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति हुयी।

अतः समय से लीसा की नीलामी न करने एवं विकास कार्यों की रॉयल्टी जमा न कराये जाने के कारण राजस्व कमी का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-:05 राजस्व प्राप्ति एवं संबन्धित चालानों का सत्यापन कोषागार से न किया जाना।

वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह विभागीय प्राप्तियों का कोषागार की सूची से मिलान किया जाना चाहिये। सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या वित्त (लेखा) अनुभाग-1/संख्या-ए-1-1189/दस-96-10(1)-93 दिनाँक 25.06.1996 द्वारा भी विभाग की शासकीय प्राप्तियों के संदर्भ में समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों का ध्यान वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 27-ए की टिप्पणी(4) की ओर आकृष्ट किया गया था जिसमे यह प्रावधान है कि कोषागारों में भुगतानों (शासकीय प्राप्तियों) के प्रकरणों में आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी की चालान पर प्राप्ति को देखकर कैश बुक की प्रविष्टियों को प्रमाणित किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियाँ ₹ 1000 से अधिक हों, तो उसका सत्यापित विवरण कोषागार से प्राप्त कर कैश-बुक में पोस्टिंग से मिलान किया जाये। वित्तीय अनियमितताओं, शासकीय धन के गबन एवं दुर्विनियोग के प्रकरणों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु यह आवश्यक है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों का यह दायित्व निर्धारित किया जाये कि उक्त नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के माह 05/2019 में राजस्व जमा से संबन्धित चालानों के सत्यापन के दौरान संबन्धित माह की प्राप्तियों से संबन्धित सीटीआर उपलब्ध नहीं था एवं न ही प्रभाग द्वारा प्राप्तियों का मिलान कोषागार से किया जा रहा था। अतः सीटीआर के आभाव में उपरोक्त माह में प्राप्त राजस्व ₹ 11192707/- से संबन्धित चालानों का मिलान लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि सीटीआर प्रभाग में उपलब्ध नहीं है। भविष्य में चालानों का मिलान किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार प्रत्येक माह आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आईएफ़एमएस से सीटीआर डाउनलोड कर प्राप्तियों का मिलान किया जाना चाहिये था जो कि नहीं किया गया था।

अत: प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:- 06 लेंटाना उन्मूलन पर निरर्थक व्यय ₹ 38.38 लाख।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का कम से कम तीन वर्षो तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क मे रहकर पुन: पौध के रूप में विकसित हो जाते है जिनके बार-बार उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2017-18 में प्रथम वर्ष हेतु 603 हेक्टेयर क्षेत्र पर लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया गया था। जिस पर कुल रु 38.38 लाख का व्यय किया गया।

क्र. सं.	योजना का नाम	लेंटाना उन्मूलन का क्षेत्रफल (है०)	कुल व्यय (₹ लाख में)
1.	जीवों के वास स्थल	46	7.28
2.	बहुउद्देशीय वृक्षारोपण (एस सी पी)	57	6.10
3.	कैम्पा	500	25.00
	कुल	603	38.38

जबकि वर्ष 2018-19 में उक्त क्षेत्र द्वितीय वर्ष हेतु कोई कार्य नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रभावित क्षेत्र के उपचार पर किए गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लेंटाना पुन: उगकर क्षेत्र की परिस्थितिकी को प्रभावित करेगा।

अत: प्रभाग द्वारा लेंटाना के कार्य को लगातार तीन वर्षो तक जारी न रखने के परिणामस्वरूप कुल ₹ 38.38 लाख का व्यय निष्फल रहा।

उपरोक्त के संबंध लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित वर्षो में बजट उपलब्ध न होने के कारण लेंटाना उन्मूलन का कार्य नही करवाया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर:-07 वन पंचायतों को प्रदत्त की गयी सहायता अनुदान की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना रु 16.12 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2019-20 में कैम्पा योजना के अंतर्गत वन पंचायतों को ₹ 16.12 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी (विवरण संलग्न)। किन्तु वन पंचायतों को निर्गत की गयी ₹16.12 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा तिथि तक प्रस्तुत नहीं किए गए।

उपरोक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि लेखापरीक्षा को संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवलोकित करा दिया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि अपने उत्तर के समर्थन में संबन्धित वन पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा को प्रतुस्त नहीं किए गए।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-08 प्रभाग की उदासीनता के कारण 42 कार्मिकों को अधिकतम 34 माह विलम्ब से अंशदान की कटौती होने के कारण ₹4.13 लाख का नियोक्ता अंशदान की राशि से वंचित रहना।

उत्तराखण्ड सरकार के आदेश सितम्बर 2005 के द्वारा जिन अधिकारी / कर्मचारियों की नियुक्ति सितम्बर 2005 के बाद हुये है, उनके वेतन से वेतन + ग्रेड का 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। योजना के प्रावधान के अनुसार काटी गई अंशदान के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी की अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच करने पर यह देखा गया कि 42 कार्मिकों के वेतन से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि से 01 माह से 34 माह विलम्ब से होने के कारण कार्मिकों को धनराशि ₹ 4.13 लाख का मिलने वाला नियोक्ता अंशदान के लाभ से वंचित रहना पड़ा (विवरण संलग्न)।

लेखा परीक्षा द्वारा उक्त के सम्बंध में पूछे जाने पर कि किन कारणों से अंशदान की कटौती 01 माह से 34 माह विलम्ब से की गयी एवं अंशदान की धनराशि को किस मद में रखा गया है। प्रभाग ने अपने उत्तर में बताया कि अंशदान की धनराशि को किसी मद में नहीं रखा गया है। PRAN नम्बर न मिलने के कारण अंशदान की कटौती नहीं की गई। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है। प्रभाग द्वारा कार्मिकों की अंशदान की धनराशि को सस्पेन्स हैड में रखा जाना चाहिये था। पीआरएएन नम्बर प्राप्त होते ही धनराशि को कार्मिकों के खाते में ट्रांसफर कर देना चाहिये था। जिससे कि नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला अंशदान प्राप्त हो सके।

अत: प्रभाग की उदासीनता के कारण 42 कार्मिकों का 01 माह से 34 माह विलम्ब से अंशदान की कटौती होने के कारण रू 4.13 लाख का नियोक्ता द्वारा मिलने वाला अंशदान की राशि से वंचित रहना पड़ा।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर:-09 सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹ 36.07 लाख के कार्यो को पूर्ण किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के बिन्दु 40 (1) के अनुसार कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

प्रभाग के अभिलेखों एवं E-23 पंजिका की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में ₹36,07,220/- (सूची संलग्न) की लागत के कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के पूर्ण करा दिये गए तथा संप्रेक्षा तिथि (मार्च 2021) तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि स्वीकृति प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:-10 अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए कार्यों को टुकड़ों में बांटकर किया जाना ₹ 9.84 लाख।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 42(1) के अनुसार A group of works which forms one project shall be considered one work and technical administrative and financial approval from the competent authority should be taken as one work. The work should not be split just to avoid the procedure of getting the needed approval of the higher authority.

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के बिन्दु 40 (1) के अनुसार कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में प्रभाग के अभिलेखों एवं E-23 पंजिका की जाँच में पाया गया कि टिहरी रेंज में बुडोगी चावल खेत मोटर मार्ग से निकले मलवे हेतु डम्पिंग प्वाइंट निर्माण कार्य को तीन भागों अर्थत जॉब-I,II तथा III में बांटकर क्रमश: रू 348000/-, रू 348000/- तथा रू 288200/- की स्वीकृति प्राप्त कर सम्पन्न कराया गया था अर्थात उक्त निर्माण कार्य की लागत रू 984200/- थी तथा प्रत्येक अवसर पर कार्य की सीमा रु 3 लाख से कम थी। अत: स्पष्ट है, कि उक्त कार्य की स्वीकृति वन संरक्षक/ निदेशक से ली जानी थी। परन्तु प्रभाग द्वारा उक्त कार्य को तीन टुकड़ो में विभक्त कर सम्पन्न कराया गया। जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का उल्लंघन है। इसी प्रकार कल गंगा रेंज में तोली कक्ष संख्या-04 में ''भूमि कटाव एवं जल संरक्षण कार्य" को दो भागों में विभक्त कर (क्रमश: 2,50,000/- तथा रू 2,50,000/-) सम्पन्न कराया गया था। जबकि उक्त कार्य एक ही प्रकृति का था। इस प्रकार उक्त कार्य को टुकडों में विभाजित कर सम्पादित किया जाना उत्तराखण्ड कार्य प्राप्ति नियमावली-2017 का उल्लंघन प्रतीत होता है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों कार्य अलग-अलग प्रकृति के थे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संबंधित कार्य अपने आप में स्वतंत्र न होकर एक ही कार्य था| एक ही कार्य को विभिन्न टुकड़ों में अनावश्यक बांटा गया था, जिसका कोई औचित्य नहीं था| साथ ही कार्य संपन्न कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कराना आवश्यक था जो नहीं किया गया था |

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है|

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
05/2002-03	1,2,3	1,2,3	-
27/2003-04	1,2	1,2,3	-
31/2004-05	-	1,2	-
39/2005-06	1	1,2,3	-
67/2006-07	1	1,2,3	-
36/2013-14	-	1,2,3	1,2
213/2015-16	-	1,2,3,4	-
79/2017-18	-	1,2,3	1
01/2018-19	1	1,2,3,4,5	
11/2019-20	-	1,2,3,4,5,6	1

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
36/2013-14		1,2	-
11/2019-20		1,2,4	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री कोको रोसे,	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV